कार्यालयः— प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय पताही, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय में कार्य करने के लिए सुरक्षा प्रहरी का निविदा

बिहार सरकार शिक्षा विभाग पटना, बिहार अधिसूचना के ज्ञापांक—12/प्रशिक्षण—89/2007....172, दिनांक— 07.07.2020 में क्रम संख्या—03 के अनुसार बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली 2005 में निहित प्रावधान एवं निर्धारित प्रक्रिया तथा सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत एतद् संबंधी आदेश/संकल्प/अधिसूचना का अनुपालन करते हुए टेंडर प्रक्रिया द्वारा बाह्य स्रोतों से सेवा लेने का आदेश प्राप्त है। जिसके आलोक में टेंडर डालने की तिथि/दिनांक— 22.02.2021 से 27.02.2021 तक का ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। टेंडर डालने वाली कम्पनियों की निम्न शर्तें है—

1. मान्यता प्राप्त कम्पनी लिमिटेड हो।
2. कम्पनी का ई॰पी॰एफ॰ सर्टिफिकेट हो।
3. कम्पनी का जी॰एस॰टी॰ नम्बर प्राप्त हो।
4. कम्पनी का टैन नम्बर प्राप्त हो।
5. कम्पनी का पैन नम्बर प्राप्त हो।

प्राप्त कम्पनियों के निविदा में न्यूनतम दर वाले कम्पनी को ही टेंडर में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर इस महाविद्यालय में पहले से कम्पनी कार्य कर रही हो तो उस कम्पनी का कोई भी कार्य असंतोषजनक हो तो दुबारा यहाँ की दावेदारी रद्द कर दी जाएगी। सुरक्षा गार्ड द्वारा प्राचार्य, व्याख्याताओं, कर्मियों, छात्र—छात्राओं की सुरक्षा तथा पूरे महाविद्यालय परिसर, उपकरणों एवं उपस्करों के सुरक्षा की जिम्मेवारी होगी। परिसर के अन्दर सभी सुरक्षा कार्य के साथ—साथ सक्षम पदाधिकारी के सुरक्षा निर्देश का पालन अनिवार्य होगा। चयनित एजेंसी का चयन 12 माह के लिए किया जाएगा। उनके कार्य गुणवत्ता/मूल्यांकन के आधार पर अनुबंध विस्तार किया जा सकेगा।

20/2/21

प्राचार्य
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय
पताही, मुजफ्फरपुर।